

2024/2555

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री दीना उर्फ दीनूखा पुत्र श्री चतरू जाति मेव निवासी बायडा तह कठूमर
जिला अलवर (राज0)।

_____सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

_____ गैरसायल

प्रार्थना-पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश

दिनांक :- 11.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर बताया कि खाता संख्या 66 रकबा 3.45 हैक्टे0. वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर से कृषि ऋण ले रखा था लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है इसीलिए दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंसा का अवलोकन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट पर खाता संख्या 66 रकबा 3.45 हैक्टे0. वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

✓

दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 66 रकबा 3.45 हैक्टे0. वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में प्रार्थी दीना उर्फ दीनूखा पुत्र श्री चतरू के हिस्से में रहन बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर ~~चौधरी~~)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)